निवेशों के संवर्धन और संरक्षण

हेतु

मंगोलिया की सरकार

तथा

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

ЦАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

मंगोलिया की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है);

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में व्यापार,आर्थिक,औद्योगिक,वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग में अधिक निवेशों को प्रोत्साहित करने की अनुकूल स्थितियां सृजित करने की इच्छा रखते हुए;

यह स्वीकारते हुए कि ऐसे निवेश का अन्तर्राष्ट्रीय करार के तहत प्रोत्साहन एवं पारस्परिक संरक्षण व्यक्तिगत व्यापारिक पहल की प्रेरणा में मददगार सिद्ध होगा तथा इससे दोनों राज्यों में समृद्धि बढ़ेगी;

निम्न रूप में सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद I

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ :--

(क) " कंपनी" का अर्थ है :

(i) **मंगोलिया की सरकार के संबंध में** : मंगोलिया में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित या गठित या स्थापित निगम, फर्में तथा एसोसिएशनें ;

(ii) **भारत गणराज्य के संबंध में** : भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित या गठित या स्थापित निगम,फर्में तथा एसोसिएशनें ।

(ख) 'निवेश' का अर्थ है प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति,जिसमें ऐसे निवेश के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना भी शामिल है जो उस संविदाकारी पक्ष जिसके भू-भाग में निवेश किया गया है, के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्थापित अथवा अधिगृहीत की गई हो, और उसमें विशेष रूप से, यद्यपि एकमात्र नहीं, निम्नलिखित शामिल होंगे :

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
ЗАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ

(i) चल और अचल संपत्ति तथा अन्य संपत्ति अधिकार जैसे बंधक-पत्र, ग्रहणाधिकार, अथवा गिरवी रखना ;

(ii) किसी कंपनी में शेयर तथा स्टाक और डिबेंचर अथवा ऐसी कंपनियों की संपत्ति में अधिकार व कंपनी में भागीदारी के कोई अन्य समान रूप ;

(iii) वित्तीय मूल्य वाली संविदा के अन्तर्गत धन अथवा किसी कार्य-निष्पादन के अधिकार ;

(iv) संबंधित संविदाकारी पक्ष के संगत कानूनों के अनुसार बौद्धिक संपत्ति अधिकार ;

(v) मेजबान देश के कानूनों के अनुसार दी गई व्यापारिक रिआयतें जिनमें तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए रिआयतें शामिल हैं।

(ग) " निवेशक" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक अथवा कंपनी ;

(घ) " राष्ट्रिक " का अर्थ है :

(i) **मंगोलिया सरकार के संबंध में :** मंगोलिया में प्रवृत्त कानून के अनुसार मंगोलिया राष्ट्रिकों के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करने वाले देशजात व्यक्ति ;

(ii) **भारत गणराज्य के संबंध में :** भारत में प्रवृत्त कानून के अनुसार भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में अपना दर्जा प्राप्त करने वाले देशजात व्यक्ति ।

(ड.) "प्रतिफल" का अर्थ है किसी निवेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशियां जैसे लाभ,ब्याज,पूंजी लाभ लाभांश,रायल्टियां एवं शुल्क अथवा अन्य वैध आय ;

(च) **"भू-भाग" का अर्थ है :**

(i) **मंगोलिया सरकार के संबंध में :** मंगोलिया सरकार का भू-भाग जिसमें इसके ऊपर का वायुक्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल है जिसपर मंगोलिया सरकार का अपने प्रवृत्त कानूनों के अनुसार प्रभुसत्ता,प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो ।

(ii) **भारत गणराज्य के संबंध में :** भारत गणराज्य का भू-भाग जिसमें इसका सीमांतर्गत जलक्षेत्र और इसके ऊपर का वायु क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट हैं जिस पर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों, समुद्र संबंधी कानून पर संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अभिसमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता, प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो ।

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ ... ХҮВ
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

अनुच्छेद 2
करार का कार्यक्षेत्र

यह करार दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए सभी निवेशों, जो इसके कानूनों एवं विनियमों के अनुसार इस रूप में स्वीकृत किए गए हों,पर लागू होगा चाहे वे इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा बाद में किए गए हों ।

अनुच्छेद 3
निवेश का संवर्धन और संरक्षण

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में निवेश किए जाने हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करेगा तथा ऐसे निवेशों को अपने कानूनों और नीति के अनुसार स्वीकृति देगा।

(2) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों एवं प्रतिफल को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सदैव उचित और साम्यापूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 4
राष्ट्रीय व्यवहार और सर्वाधिक अनुग्रह-प्राप्त राष्ट्र का व्यवहार

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो इसके अपने निवेशकों के निवेशों अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों के निवेशों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

(2) इसके अलावा, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को उनके निवेशों पर प्रतिफल समाहित के संबंध में, ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

(3) ऊपर पैरा (1) तथा (2) के उपबंधों की इस प्रकार व्याख्या नहीं की जाएगी कि एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को निम्नलिखित के परिणामस्वरूप किसी व्यवहार, तरजीह अथवा विशेषाधिकार का कोई लाभ प्रदान करना पड़े :

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
ЦАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ

(क) किसी मौजूदा अथवा भावी सीमाशुल्क संघ,मुक्त व्यापार क्षेत्र,आर्थिक समुदाय अथवा समान प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय करार जिसका यह एक पक्षकार है अथवा सकता है ; अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा मुख्यतः कराधान से संबंधित कोई मामला ।

अनुच्छेद 5
स्वामित्वहरण

(1) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों का दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें ऐसे उपायों के अधीन नहीं लाया जाएगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण के समकक्ष हो, (जिन्हें इसके बाद स्वामित्वहरण कहा गया है) सिवाय तब जब यह कानून के अनुसार भेदभाव रहित आधार पर जनहित में हो और उचित एवं साम्यापूर्ण क्षतिपूर्ति दिए जाने के प्रति हो । ऐसी क्षतिपूर्ति स्वामित्वहरण से तत्काल पूर्व या स्वामित्वकरण के सार्वजनिक होने की तिथि से तुरन्त पूर्व,जो भी पहले हो स्वामित्वहरित निवेश के वास्तविक मूल्य के समकक्ष होगी ; इसमें भुगतान की तारीख तक उचित एवं साम्यापूर्ण दर पर ब्याज शामिल होगा, यह बिना अनुचित विलम्ब के अदा की जाएगी,प्रभावी रूप से वसूली योग्य होगी,परिवर्तनीय होगी और मुक्त रूप से अन्तरणीय होगी ।

(2) प्रभावित निवेशक को इस अनुच्छेद में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार, स्वामित्वहरण करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानून के अन्तर्गत उस पक्ष के किसी न्यायिक अथवा अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी से अपने अथवा इसके मामले की समीक्षा तथा अपने अथवा इसके निवेश का मूल्यांकन करवाने का अधिकार होगा। स्वामित्वहरण करने वाला संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा कि ऐसी समीक्षा तत्काल की जाए ।

(3) जहां एक संविदाकारी पक्ष किसी ऐसी कंपनी जो कि इसके अपने भू-भाग के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अन्तर्गत निगमित अथवा गठित की गई हो और जिसमें दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के शेयर हैं, की परिसंपत्तियों का स्वामित्वहरण करता है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंध, दूसरे संविदाकारी पक्ष के ऐसे निवेशकों, जो उन शेयरों के मालिक हैं, के निवेश के संबंध में उचित एवं साम्यापूर्ण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सीमा तक लागू किए जाएं ।

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
ХУВЬ АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД

अनुच्छेद 6
हानियों की क्षतिपूर्ति

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के साथ, जिनके दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किए गए निवेशों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में हुए युद्ध अथवा अन्य सशस्त्र संघर्ष, राष्ट्रीय आपातस्थिति अथवा गृह उपद्रवों के कारण हानियां हुई हों, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण,मुआवजे,क्षतिपूर्ति अथवा अन्य निपटान के संबंध में ऐसा व्यवहार प्रदान किया जाएगा जो किसी ऐसे व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा जो कि दूसरा संविदाकारी पक्ष अपने निवेशकों को अथवा किसी तीसरे राज्य के निवेशकों को प्रदान करता है । परिणामी भुगतान मुक्त रूप से अन्तरणीय होंगे ।

अनुच्छेद 7
निवेश और प्रतिफल का प्रत्यावर्तन

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक द्वारा अपने भू-भाग में किए गए निवेश से संबंधित सभी निधियों का बिना अनावश्यक विलम्ब के तथा भेदभाव रहित आधार पर अबाधित अन्तरण अनुमेय करेगा । ऐसी निधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) निवेशों को बनाए रखने अथवा उनकी वृद्धि के लिए प्रयोग में लाई गई पूंजी और अतिरिक्त पूंजी की राशि;

(ख) निवल प्रचालनात्मक लाभ जिनमें उनकी शेयरधारिता के अनुपात में लाभांश और ब्याज तथा अन्य वैध आय शामिल है;

(ग) निवेश से संबंधित किसी ऋण की वापसी-अदायगियां, जिनमें उनपर ब्याज भी शामिल है;

(घ) निवेश से संबंधित रायल्टियों और सेवा शुल्कों का भुगतान जिनमें तकनीकी सहायता तथा प्रबन्ध व्यवस्था शुल्क शामिल है ;

(ड.) उनके शेयरों की बिक्री से हुई आय ;

(च) बिक्री अथवा आंशिक बिक्री अथवा परिसमापन की स्थिति में निवेशकों द्वारा प्राप्त आय ;

(छ) एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों/ राष्ट्रिकों की आय जो निवेश के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में कार्य करते हैं ।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में ऐसा कुछ निहित नहीं है जो इस करार के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत किसी क्षतिपूर्ति के अन्तरण को प्रभावित करे ।

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
ЦАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ

(3) जब तक पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो जाए, इस अनुच्छेद के पैरा (1) के अन्तर्गत मुद्रा अन्तरण मूल निवेश की मुद्रा अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में अनुमेय होंगे । अन्तरण की तारीख को प्रचलित विनिमय की बाजार दर पर ऐसे अन्तरण किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8
प्रतिस्थापन

यदि किसी संविदाकारी पक्ष अथवा इसके नामित अभिकरण ने दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इसके किसी निवेशक द्वारा किए गए निवेश के संबंध में गैर-वाणिज्यिक जोखिमों के प्रति किसी क्षतिपूर्ति की गारंटी दी हो तथा इस करार के अन्तर्गत उनके दावों के संबध में ऐसे निवेशकों को कोई भुगतान किया हो तो दूसरा संविदाकारी पक्ष सहमत होगा कि पहला संविदाकारी पक्ष अथवा उसका नामित अभिकरण प्रतिस्थापन के आधार पर उन निवेशकों के अधिकारों का प्रयोग करने और दावों को बनाए रखने का हकदार है । प्रतिस्थापित अधिकार अथवा दावे ऐसे निवेशकों के मूल अधिकारों अथवा दावों से अधिक नहीं होंगे ।

अनुच्छेद 9
निवेशक तथा संविदाकारी पक्ष के बीच विवादों का निपटान

(1) एक संविदाकारी पक्ष के निवेशक और दूसरे संविदाकारी पक्ष के बीच इस करार के अन्तर्गत पहले पक्ष के किसी निवेश के संबंध में किसी विवाद का निपटान विवाद के पक्षकारों के बीच बातचीत के माध्यम से, यथासंभव सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा ।

(2) यदि ऐसा कोई विवाद छः महीनों की अवधि के अन्दर सौहार्दपूर्ण रूप से नहीं निपटाया गया हो तो, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, विवाद को निम्न को प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(क) संविदाकारी पक्ष, जिसने निवेश को स्वीकृति दी है, के कानून के अनुसार उस संविदाकारी पक्ष के सक्षम न्यायिक, माध्यस्थम् अथवा प्रशासनिक निकायों को समाधान के लिए ।

ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के समाधान नियमों के तहत अन्तर्राष्ट्रीय समाधान को ।

ШАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

(3) यदि दोनों पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ(2) के अन्तर्गत प्रावधान की गई विवाद निपटान प्रक्रिया पर सहमत नहीं होते हैं अथवा जहां कोई विवाद समझौते के लिए संदर्भित किया जाता है, लेकिन समाधान कार्यवाहियां निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बजाय अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं, तो विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। मध्यस्थता प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :

क) यदि निवेशक का संविदाकारी पक्ष तथा दूसरा संविदाकारी पक्ष दोनों ही राष्ट्रों तथा अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रिकों के बीच निवेश विवाद निपटान अभिसमय, 1965 के पक्षकार हैं तथा निवेशक विवाद को निवेश विवाद निपटान संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के पास भेजने के लिए लिखित रूप में सहमति देता है, तो ऐसा विवाद केन्द्र को भेजा जाएगा ;

ख) यदि विवाद के दोनों पक्ष सहमत हों तो विवाद समाधान, माध्यस्थम तथा तथ्यान्वेषण कार्यवाहियों के प्रशासन हेतु अतिरिक्त सुविधा को भेजा जाएगा ; अथवा

ग) किसी भी विवादग्रस्त पक्ष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, 1976 संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के माध्यस्थम नियमों के अनुसार किसी तदर्थ माध्यस्थम न्यायाधिकरण को निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन भेजा जाएगा :

(i) नियमों के अनुच्छेद 7 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अगला वरिष्ठ न्यायाधीश होगा जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है। तीसरा मध्यस्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं होगा।

(ii) दोनों पक्ष अपने संबंधित मध्यस्थों की नियुक्ति दो माह के भीतर करेंगे।

(iii) मध्यस्थ पंचाट इस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा विवादग्रस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद 10
संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद

(1) संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की व्याख्या अथवा प्रयोग से संबंधित किसी विवाद को यथासंभव बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा।

(2) यदि संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद का निपटान विवाद के उत्पन्न होने के छह महीने के अन्दर इस प्रकार नहीं किया जाता तो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर इसे किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

(3) ऐसा माध्यस्थम न्यायाधिकरण प्रत्येक पृथक मामले के लिए निम्नानुसार गठित किया जाएगा : माध्यस्थम के लिए अनुरोध प्राप्ति के दो महीनों के अन्दर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष न्यायाधिकरण के एक सदस्य की नियुक्ति करेगा । ये दोनों सदस्य तब किसी तीसरे देश के राष्ट्रिक का चयन करेंगे, जिसे दोनों संविदाकारी पक्षों के अनुमोदन से न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । अध्यक्ष की नियुक्ति अन्य दोनों मध्यस्थों की नियुक्ति की तिथि से दो माह के भीतर की जाएगी ।

(4) यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट अवधियों के अन्दर आवश्यक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, कोई अन्य समझौता न होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित कर सकता है । यदि अध्यक्ष दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक है अथवा उसे उक्त कार्य करने से अन्यथा रोका जाता है तो उपाध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । यदि उपाध्यक्ष दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक है अथवा उसे भी उक्त कार्य करने से रोका जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगली वरिष्ठता वाले सदस्य,जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं है,को आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

(5) माध्यस्थम न्यायालय अपना निर्णय बहुमत द्वारा करेगा । ऐसे निर्णय अंतिम तथा दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे । दोनों संविदाकारी पक्ष अपने संबंधित कानूनों तथा इस करार के उपबंधों के साथ-साथ दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकृत सामान्यतः मान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत के अनुसार इस निर्णय के प्रति वचनबद्ध होंगे । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष न्यायाधिकरण के अपने सदस्य तथा माध्यस्थम कार्यवाहियों में उसके प्रतिनिधित्व का खर्च स्वयं वहन करेगा; अध्यक्ष का खर्च तथा शेष खर्च दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे । तथापि, न्यायाधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि खर्च का बड़ा भाग दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी एक के द्वारा वहन किया जाएगा और यह पंचाट दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा । न्यायाधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा ।

ЦАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

अनुच्छेद 11
कार्मिकों का प्रवेश और निवास

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष गैर-नागरिकों के प्रवेश तथा निगम के संबंध में समय-समय पर अपने प्रयोज्य कानूनों के अधीन रहते हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के देशजात व्यक्तियों तथा दूसरे संविदकारी पक्ष की कंपनियों द्वारा नियोजित कामिकों को निवेश से संबंधित कार्य करने के प्रयोजन से अपने भू-भाग में प्रवेश करने और रहने की अनुमति प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद 12
प्रयोज्य कानून

(1) इस करार में अन्यथा किए गए उपबंधों के अतिरिक्त,समस्त निवेश उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवृत्त कानूनों द्वारा शासित होगा जहां ऐसे निवेश किए जाते हैं ।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के बावजूद, इस करार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेजबान संविदाकारी पक्ष को अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए अथवा अत्यधिक आपातिक परिस्थितियों में इसके सामान्यतः तथा युक्तिसंगत रूप से भेदभाव रहित आधार पर प्रयोज्य किए गए कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने से बाधित करे ।

अनुच्छेद 13
अन्य नियमों का प्रयोग

यदि वर्तमान करार के अतिरिक्त दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के कानून के उपबंध अथवा वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत मौजूद अथवा इसके बाद संविदाकारी पक्षों के बीच स्थापित बाध्यताओं में ऐसे नियम चाहे वे सामान्य हों अथवा विशिष्ट, अन्तर्विष्ट हैं जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा निवेशों के लिए वर्तमान करार द्वारा प्रदत्त व्यवहार से अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करते हैं तो ऐसे नियम उस सीमा तक,जहां तक वे अधिक अनुकूल हैं, वर्तमान करार पर अभिभावी होंगे।

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ
ЦАХИМ ХУВЬ

अनुच्छेद 14

(1) दोनों संविदाकारी पक्षों के प्रतिनिधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए समय-समय पर बैठक करेंगे :

क) इस करार के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए ;
ख) जानकारी तथा निवेश अवसरों के आदान-प्रदान के लिए ;
ग) निवेशों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ;
घ) निवेश संवर्धन संबंधी प्रस्तावों के अग्रेषण के लिए ;
ड.) निवेशों में संबंधित अन्य मुद्दों का अध्ययन करने के लिए ;

(2) जहां दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के किसी मामले पर परामर्श का अनुरोध करता है, दूसरा संविदाकारी पक्ष तत्काल प्रत्युत्तर देगा ।

अनुच्छेद 15
करार का प्रवृत्त होना

यह करार उस दिन प्रवृत्त होगा जब दोनों सरकारें एक दूसरे को सूचित कर देंगी कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय करार के रूप में इसके निष्पादन तथा प्रवृत्त होने की देशीय कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है ।

अनुच्छेद 16
करार की समयावधि और समाप्ति

(1) यह करार दस वर्ष की समयावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उसके बाद, यह स्वतः बढ़ा दिया गया समझा जाएगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष को करार समाप्ति के अपने इरादे की लिखित सूचना नहीं दे देता । ऐसी लिखित सूचना की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष पश्चात् करार समाप्त हो जाएगा ।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अनुसरण में इस करार के समाप्त होने पर भी, यह करार, इसकी समाप्ति की तारीख से पहले किए गए अथवा प्राप्त किए गए निवेशों के संबंध में इसकी समाप्ति की तारीख से आगे दस वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

ҮНДЭСНИЙ АРХИВ ГАЗАР
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में दिनांक 3 जनवरी, 2001 को सम्पन्न इस करार की मंगोलियाई और अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियां तैयार की गई हैं, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं ।

व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

मंगोलिया की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ЦАХИМ АШИГЛАЛТЫН ХУВЬ
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ